न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
14/24	एफएसएस एक्ट, 2006	21/03/2024

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. मुरली गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता (मौके पर विक्रेता) निवासी बाटोदा मैसर्स मुकेश मिष्ठान भण्डार ,बस स्टेण्ड बाटोदा तह0 गंगापुर सिटी ।
2. मुकेश कुमार मंगल पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता उम्र 49 वर्ष जाति महाजन , निवासी बाटोदा (फर्म मालिक) मैसर्स मुकेश मिष्ठान भण्डार ,बस स्टेण्ड बाटोदा तह0 गंगापुर सिटी ।

–अभियुक्तगण

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

निर्णय दिनांकः– 18.12.2024

1. उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 04/11/2023 को 03:00 पी.एम पर मैसर्स मुकेश मिष्ठान भण्डार ,बस स्टेण्ड बाटोदा तह0 गंगापुर सिटी पर पहुंचा आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विकेता से स्वंय का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होने मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं फर्म मालिक का आधार कार्ड प्रंस्तुत किया। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को Barfi Made form Mawa and Suger में विकय हेतु रखे हुए थे Barfi Made form Mawa and Suger मिलावट का अंदेशा होने पर Barfi Made form Mawa and Suger 02 किलोग्राम वजनी खरीदें उसकी कीमत 4000/– रू0 विकेता श्री मुरली गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता मुरली गुप्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान डॉ धर्मसिंह मीणा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियॉं एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मुरली गुप्ता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियॉं के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2023/1128 दिनांक 07.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/4664/एक्ट/2023/4696 दिनांक 21.11.2023 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ Barfi Made form Mawa and Suger, Substandard as the extracted fat dose not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation -2011 , The Sample is also Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 पाया गया है।

आवेदक द्वारा Barfi Made form Mawa and Suger, Substandard as the extracted fat dose not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation -2011 , The Sample is also Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 का विकय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:02 IST
Reason: Self-Attested

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आवेदक की बहस सुनी गई।

आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा Barfi Made form Mawa and Suger, Substandard as the extracted fat dose not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation -2011 , The Sample is also Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम जुर्माना से दण्डित किया जावें, जिससे आमजन को भविष्य में सुरक्षित खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्यएलएस/4664/एक्ट/2023/4696 दिनांक 21.11.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Barfi Made form Mawa and Suger, Substandard as the extracted fat dose not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation -2011 , The Sample is also Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006 होना पाया गया है। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 54 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्तगण को संयुक्त रूप से 1,00,000 (एक लाख) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...18.12.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
05/22	एफएसएस एक्ट, 2006	25/08/2022

1. पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।
–आवेदक

बनाम

1. मनोज कुमार सिंघल पुत्र श्री गोपालराम मैसर्स मनोज हलवाई प्रा0बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी निवासी नहर रोड हनुमान कॉलोनी गंगापुर सिटी।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांकः– 16.12.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 01.02.2022 को दोपहर 02:30 पीएम पर मैसर्स मनोज हलवाई प्रा0बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी पर पहुंचा। आवेदक ने मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे, तो उसने अपना नाम मनोज कुमार सिंघल पुत्र श्री गोपाल राम मैसर्स मनोज हलवाई प्रा0 बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी होना बताया। आवेदक द्वारा नमूना सं0 एच– 2204 खाद्य वस्तु पनीर 20 किलो परात में बिकी हेतु रखा हुआ था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त पनीर का नमूना वास्ते जांच देने हेतु विक्रेता से कहां और फार्म 5 ए मौके पर भरकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने विक्रेता की उक्त 20 किलोग्राम पनीर में से 1 किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मनोज कुमार सिंघल पुत्र गोपालराम को रू0 250 (दो सौ पचास रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये 1 किलो पनीर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूँदें डालकर बौतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2204 दर्ज किया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेश्षक राजस्थान जयपुर को श्री मौ0असलम वार्ड बॉय के द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/22/462 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस[illegible] दिनांक 02.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ [illegible] पाया गया।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विश[illegible] राज. जयपुर की [illegible] रिपोर्ट संख्या एलएस/607/ एक्ट/2022/646 दिनांक 02.03.2022 के [illegible] खाद्य पदार्थ पनीर का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं [illegible] धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लधंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:02 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी जाबबदार किराये की दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जिसमें बाहर से खाद्य पदार्थ पनीर का कय कर उसी अवस्था में विकय करता है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। अप्रार्थी उक्त किराये की दुकान से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी बहुत गरीब व्यक्ति है स्वयं के मकान में ही एक छोटी सी दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ही वकील अभियुक्तगण ने उक्त कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक राज, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/607/ एक्ट/2022/646 दिनांक 02.03.2022 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर अवमानक स्तर का निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है, साथ ही यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 80,000 (अस्सी हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक. 16.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम — श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
25/22	एफएसएसएस एक्ट, 2006	06/12/2022

वीरेन्द्र कुमार सिंह ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर

—आवेदक

बनाम

श्री मदनमोहन गुप्ता (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स रमेश चन्द्र सुरेश चन्द्र पुरानी नगर पालिका के पास बद्रीनाथ बाजार गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर निवासी वैध कॉलोनी गंगापुर सिटी।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11/12/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 27.07.2022 को सायः 04:00 पी.एम.पर मैसर्स रमेश चन्द्र सुरेश चन्द्र पुरानी नगर पालिका के पास, बद्रीनाथ बाजार गंगापुर सिटी पर पहुंचा एवं संस्थान का निरक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु घी (खुला) एवं विभिन्न कम्पनीयों के ब्राण्ड एवं रिफाईण्ड पाम ऑयल को घी के साथ रखकर बेचा जा रहा था। एक खुले टिन में रखें घी लगभग 15 किलों में मिलावट का अंदेशा होने पर 1 किलो घी (लूज) खरीदा उसकी कीमत 220/— रू0 विक्रेता श्री मदनमोहन गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान शिव कुमार शर्मा व चन्द्रभान गुप्ता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां जिसे श्री मदनमोहन गुप्ता ने भी पढकर , समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5 ए की प्रति एक विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलो घी (लूज) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी (लूज) को प्रत्येक बोतल में बराबर—बराबर डाला एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकायें और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच—2370 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच—2370 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानु[illegible] नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व [illegible] र आवे। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर [illegible] ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक कार्यालय में पहूँचकर [illegible] की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 [illegible] प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:02 IST
Reason: Self Attested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसएए/2022/12 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2504/एक्ट/2022/2546 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन प्रकृति का होना पाया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण ने उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की है। उक्त प्रकरण की सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई है तो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री विरेन्द्र कुमार सिंह एल0टी0 लैब टैक्नीशियन पद पर है। जिसे सेम्पलिंग की कार्यवाही करने का कानूनन अधिकार नहीं है, ना ही उक्त आवेदक द्वारा कार्यवाही करने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग ली गई है। इस प्रकार आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गई है, साथ ही वकील अभियुक्त ने प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2504/एक्ट/2022/2546 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार विकेता द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन प्रकृति का खाद्य पदार्थ घी (लूज) का निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 54 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को 40000 (चालीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम — श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
51/24	एफएसएस एक्ट, 2006	27/08/2024

वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर
—आवेदक

बनाम

कमलेश खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश खण्डेलवाल (प्रोपराईटर) मैसर्स अर्थव किराना एण्ड जनरल स्टोर, माल गोदाम रोड गंगापुर सिटी निवासी नर्सिंग कॉलोनी गंगापुर सिटी।
—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक— 18.12.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिय युद्ध अर्न्तगत दिनांक 20.12.2023 को 02:30 पी.एम पर मैसर्स अर्थव किराना एण्ड जनरल स्टोर माल गोदाम रोड गंगापुर सिटी पर पहुंचा आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होने खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) की पैकिट्स में रखे हुए थे। Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) 500 मि0ली0 के पैकिट्स में मिलावट का अंदेशा होने पर Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) 500 मि0ली0 के पैकिंग के 04 पैकिट्स को खरीदें उसकी कीमत 1000/— रू0 विक्रेता श्री कमलेश खण्डेलवाल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान रविकान्त के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री कमलेश खण्डेलवाल भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा 04 नमूना भाग तैयार कर तथा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकायें और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच 3123 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच 3123 नियमानुसार चारों भागों में नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता से हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक द्वारा फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर यह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:02 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2024/48 दिनांक 02.01.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/5287/एक्ट/2023/28 दिनांक 01.01.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) Substandard & Contravenes होना पाया गया है।

आवेदक द्वारा Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) 500 ml. Substandard & Contravenes प्रकृति का विकय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुआ। अभियुक्त ने दौराने बहस कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक की बहस सुनी गई।

आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त के द्वारा खाद्य पदार्थ Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) 500 ml. Substandard & Contravenes प्रकृति का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है तथा अभियुक्त पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/6287/एक्ट/2023/28 दिनांक 01.01.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Shudh Deshi Ghee (Dairy Nice Brand) 500 ml. Substandard & Contravenes प्रकृति का होना पाया गया है। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 2.00.,000 (2 लाख) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...18.12.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:43:02 IST
Reason: SelfAttested